रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062022-236742 CG-DL-E-22062022-236742

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2022/आषाढ़ 1, 1944

No. 314]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2022/ASHADHA 1, 1944

## ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

सं.18/1/बीईई/डिस्कॉम/2021- निम्नांकित मसौदा विनियम, जिसके माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियां में ऊर्जा लेखा-परीक्षा संचालन की रीति और समयाविध) विनियम, 2021, में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, एदत द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जैसा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों के सूचानार्थ अपेक्षित है, जिन पर उनका प्रभाव पड़ने की आशंका है; और एदत द्वारा नोटिस दिया जाता है कि विनियमों के उक्त प्रारूप पर उस तारीख से तीस दिनों की अविध की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जब इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, चौथी तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 और ब्यूरो के ई-मेल dg-bee@nic.in पर भेजे जा सकते हैं;

उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

4173 GI/2022 (1)

### संशोधित मसौदा विनियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियां में ऊर्जा लेखा-परीक्षा संचालन की रीति और समयाविध) संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।
  - (2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा संचालन की रीति और समयाविध) विनियम, 2021 (जिसे यहां बाद में प्रमुख विनियम कहा जायेगा), के विनियम (4) के उप-विनियम (1) का खंड (ख) निम्नलिखित उपखंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
  - (ख) "दूसरी अनुसूची के पैरा (ख) में निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार आवधिक ऊर्जा लेखा रिपोर्ट ब्यूरो और संबंधित राज्य नामित एजेंसी को प्रस्तुत करे और आवधिक ऊर्जा लेखांकन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए।"
- 3. प्रमुख विनियम की पहली अनुसूची के पैरा (क) के उप पैरा (ii) में, *"दिसंबर 2023"* शब्दों को *"मार्च 2023"* शब्दों से और *"दिसंबर 2025"* शब्दों को *"दिसंबर 2023"* शब्दों से बदल दिया जाएगा।"
- 4. प्रमुख विनियम की पहली अनुसूची के पैरा (क) के उप पैरा (iii) में, "शेष क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को बाद में चरणबद्ध तरीके से लिया जा सकता है।"- इन शब्दों के स्थान पर निम्नांकित शब्द रखें जाएंगे-"शेष क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को मार्च 2025 तक चरणबद्ध तरीके से लिया जा सकता है।"
- 5. उक्त प्रमुख विनियम की दूसरी अनुसूची में, संदर्भ शब्दों *-"[विनियम 9(1) देखें]"* के स्थान पर संदर्भ शब्द  *"विनियम 4(1)(ख) और 9(1) देखें]"* रखे जाएंगे।
- 6. उक्त प्रमुख विनियम की दूसरी अनुसूची में, संदर्भ शब्दों -"वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट" के स्थान पर शब्द-"वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट/आवधिक ऊर्जा लेखा रिपोर्ट"रखे जाएंगे।
- 7. उक्त मूल विनियम की दूसरी अनुसूची में, फीडर वार हानि विवरण के लिये प्रारूप के बाद निम्नांकित प्रपत्र जोड़े जायेंगे;

### क. डीटी स्तरीय सूचना का विवरण

(क) डीटी स्तरीय मीटरिंग की डिवीजन-वार स्थिति (कृपया आवश्यकतानुसार अधिक पंक्तियां जोड़ें) (कृपया रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रत्येक डिवीजन के लिए डेटा भरें)

जोन का नाम	सर्कल का नाम	डिविजन का नाम	मीटर रहित डीटीज की संख्या	एएमआई/ एएमआर मीटर युक्त डीटीज की संख्या	गैर एएमआई/ एएमआर मीटर डीटीज की संख्या	डीटीज की कुल संख्या	कार्यशील मीटरों वाले डीटीज की संख्या

# ख. डीटी-वार नुकसान का विवरण (कृपया आवश्यकतानुसार अधिक पंक्तियां जोड़ें)

सब-स्टेशन आईडी	फीडर आईडी	फीडर का नाम	डीटी आईडी नम्बर	डीटी कैपेसिटी (केबीए)	डीटी का प्रमुख उपभोक्ता प्रकार (घरेलू/औद्योगिक/ कृषि/मिश्रित)	मीटरिंग का प्रकार (मीटर रहित/एएमआई/एएमआर/अन्य) AMI/AMR/Other)	मीटर की स्थिति (कार्यशील/ निष्किय)	स्वचालित रूप से प्राप्त डेटा का % (यदि एएमआई/एएमआर हो)	कनेक्टिड उपभोक्ताओं की संख्या	इनपुट ऊर्जा (एमयू)	बिल की गई ऊर्जा (एमयू)	ऊर्जा की हानि (एमयू)	प्रतिशत हानि
		(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)=	(7)=
												(5)-(4)	(6)/ (4)

# ख. ......से ......तक: अवधि के लिये उपभोक्ता श्रेणीवार सबसिडी आदेशित/प्राप्त /बकाया विवरण

ोक्ता श्रेणी के	आदे	शित (1 ऊर्जा		सबसिडी प्राप्त आदेशित ऊर्जा			द्वारा ट	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित व्यवहार्य सबसिडी दर		राज्य सरकार से बकाया सबसिडी			म 12. के		. (कॉलम 13.	की जाने वाली
उपभोक्ता श्रेणी (प्रत्येक सबसिडी प्राप्त उपभोक्ता श्रेणी के लिये पृथक)	मीटर की गयी	मीटर नहीं की गयी*	કેલ	मीटर की गयी (कॉलम 2. से)	मीटर नहीं की गयी *(कॉलम 3. से)	৮	मीटर की गयी ऊर्जा <b>**</b>	मीटर नहीं की गयी ऊर्जा**	मीटर की गयी ऊर्जा	मीटर नहीं की गयी ऊर्जा	केल	राज्य सरकार से वास्तविक आदेशित /दावा	की गयी की सबसिडी (कॉलम 12. े	मुकाबल)	राज्य सरकार से प्राप्त सबसिडी (कॉलम 13. के मुकाबले)	राज्य सरकार से अभी प्राप्त की शेष सबसिडी
उपभोक्ता श्र	(किलो वाट प्रति घंटे में)			(किलो वाट प्रति घंटे में)			(रुपये/किलो वाट प्रति घंटे में)		(करोड़ रुपये में)		पये	(करोः	ड रुपये	में)	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)
1	2	3	4=2+3	5	6	9+9=/	8	9	10=5X8	11=6x9	12=10+11		13		14	15=13 -14
आवासीय																
कृषि																

वाणिज्यिक	/							
वाणिज्यिक औद्योगिक								
– एलटी								
वाणिज्यिक	/							
औद्योगिक								
– एचटी								
अन्य (स्पष्ट								
अन्य (स्पष्ट करें)								
कुल								

<sup>\*</sup>संबंधित सरकारी आदेशों के साथ टिप्पणियों में उपलब्ध करायी जाने वाली ऊर्जा आकलन का आधार

8. उक्त प्रमुख विनियमों की दूसरी अनुसूची में, तालिका 2 में पैरा 2 के बिंदु (ग) पर संदर्भ शब्दों - "कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि" (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी एटी एंड सी हानियों की संगणना के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट ढंग और प्रारूप के अनुसार) – रखे जाएंगे।

अभय बाकरे, महानिदेशक [विज्ञापन III/4/असा./133/2022-23]

**टिप्पण**: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 18/1/बीईई/डिस्कॉम/ 2021, के तहत 7 अक्तूबर, 2021 को प्रकाशित किये गये थे।

# BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2022

No. 18/1/BEE/DISCOM/2021.—The following draft of regulations which the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, proposes to amend the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021, is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director General, Bureau of Energy Efficiency, 4<sup>th</sup> Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi – 110066 and should be sent at the e-mail address of the Bureau at dg-bee@nic.in;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

#### **Draft Amendment Regulations**

- 1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Amendment Regulations, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

<sup>\*\*</sup>संबंधित सरकारी आदेशों की प्रति उपलब्ध करायें।

- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation (4), shall be substituted with the following sub-clause:
  - (b) "Submit the periodic energy accounting report as per specified formats in Paragraph (b) of the Second Schedule, to the Bureau and respective State Designated Agency and also made available on the website of electricity distribution company within forty-five days from the date of the periodic energy accounting."
- **3.** In the First Schedule of the Principal Regulations in sub paragraph (ii) of Paragraph (A), the words "*December 2023*" shall be replaced with words "*March 2023*" and "*December 2025*" shall be replaced with words "*December 2023*".
- **4.** In the First Schedule of the Principal Regulations in sub paragraph (iii) of Paragraph (A), the words "The balance areas and consumers may be taken up in a phased manner subsequently." shall be replaced with words "The balance areas and consumers may be taken up in a phased manner by March 2025."
- 5. In the Second Schedule of the said Principal Regulations, the reference of words "[see regulations 9(1)] in the heading shall be replaced with words "[see regulations 4(1)(b) and 9(1)]".
- **6.** In the Second Schedule of the said Principal Regulations, the reference of words "Annual Energy Audit Report" shall be replaced with words "Annual Energy Audit Report/ Periodic Energy Accounting Report".
- 7. In the Second Schedule of the said Principal Regulations, the following forms shall be added after proforma for Details of Feeder-wise Losses:

#### A. Details of DT Level information

a. Division-wise status of DT level metering (please add more rows as per requirement)

(Please fill in the data for each division during the reporting period)

Zone name	Circle name	Division name	No. of unmetered DTs	No. of DTs with AMI/AMR meter	No. of DTs with non-AMI/AMR meters	Total no. of DTs	No. of DTs with functional meters

b. Details of DT-wise losses (please add more rows as per requirement)

Sub-station ID	Feeder ID	Feeder Name	DT ld no.	DT Capacity (kVA)	Predominant consumer type of DT (Domestic/Industrial/Agriculture/Mixed)	Type of metering (Unmetered/AMI/AMR/Other)	Status of meter (functional/non-functional)	% of data received automatically (if AMI/AMR)	No. of connected consumers	Input Energy (MU)	Billed Energy (MU)	Loss of Energy (MU)	% Loss
		(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(4)	(7)= (6)/(4)

B. Details of Consumer Category-wi	se Subsidy Billed/Receive	ed/Due for period: fromto
------------------------------------	---------------------------	---------------------------

each )		Billec Energ			osidize d Ene		of Su notified	table rate bsidy as l by State ovt.	Subsidy I State	Due fro Govt.	m	ed from 12)	ovt. (As	red from
Consumer Category (Separate for each subsidized consumer category)	Metered	Un-metered*	Total	Metered (out of col.2)  Un-metered*(out of col.3)  Total  Metered Energy***  Un-metered Energy**  Metered Energy**		Un-metered Energy	Total	Subsidy Actually Billed / claimed from State Govt. (As against col.12)	Subsidy Received from State Govt. (As against col.13)	Balance Subsidy yet to be Received from State Govt.				
	(i	(in kWh)			(in kWh)			(in Rs/kWh)		(in Rs. Cr.)			(in Rs. Cr.)	(in Rs. Cr.)
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=5X8	11=6x9	12=10+11	13	14	15=13-14
Residential														
Agricultural														
Commercial/Industrial - LT														
Commercial/Industrial - HT														
Other (specify)														
Total														

<sup>\*</sup>Basis of assessment of energy to be provided in the notes along with relevant Government Orders

**8.** In the Second Schedule of the said Principal Regulations, in table 2 at point (c) of Paragraph 2 the reference of words "Aggregate Technical & Commercial Loss" shall be replaced with the words "Aggregate Technical & Commercial Loss (calculated in the manner and form as specified in the prevailing Guidelines for Computation of AT&C losses published by the Central Electricity Authority)".

ABHAY BAKRE, Director General [ADVT.-III/4/Exty./133/2022-23]

**Note: -** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 18/1/BEE/DISCOM/2021, published on 7<sup>th</sup> October, 2021.

<sup>\*\*</sup>Provide copy of relevant Government Orders